

त्वरित डाक द्वारा

फा.सं. 1.15011/6/2012-आई पी एस-1

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

* * *

16 SEP 2014

नई दिल्ली, दिनांक : अगस्त 2014

आदेश

राज्य सरकार के दिनांक 01.08.2014 के पत्र सं. एफ.1-79/2014-बी-2/2 के संदर्भ में तथा समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय पुलिस सेवा (वरीयता का विनियमन) नियमावली, 1988 के नियम 3(3) (ii) के अंतर्गत इस मंत्रालय के दिनांक 18.06.2014 की अधिसूचना सं.-आई-14013/41/2011-आई पी एस-1 के तहत चयन सूची 2009ए से भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश काडर में श्री राम चन्द्र पंवार की नियुक्ति होने के फलस्वरूप दिनांक 05.06.2012 के समसंख्यक आदेश जिसके द्वारा चयन सूची 2009 ए से राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश सर्गर्ग में प्रोन्नत अधिकारियों की वरीयता निर्धारित की गई थी को निम्न के अनुसार संशोधित किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	चयन सूची का वर्ष जिसके आधार पर आई पी एस नियुक्त किए गए।	वह तारीख जब से न्यूनतम उप पुलिस अधीक्षक या उसके समतुल्य का रैंक धारित किया हुआ है।	उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक न्यूनतम उप पुलिस अधीक्षक या समतुल्य रैंक पर प्रदान की गई सेवा के पूर्ण वर्ष, जिसके लिए उक्त अधिकारी की आई पी एस (यदि कोई अन्य अंश है, तो उसे छोड़ दें) के तौर पर नियुक्ति के आधार पर चयन सूची तैयार करने हेतु एस पी सी आयोजित की गई।	अधिसूचना - दिनांक 31.12.97 की 14014/54/96-ए आई एस(1), दिनांक 30.08.2005 की 14014/14/2000-ए आई एस(1) तथा 18.4.2012 की 14014/4/2011-ए आई एस(1) के द्वारा यथासंशोधित भा.पु.से. (वरीयता का विनियमन) नियमावली, 1988 के संबंध में वर्षों के दौरान दिया गया कुल भार	आबंटन का वर्ष
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	राजेश्वर प्रसाद सिंह	2009-ए	01.01.1987	23 वर्ष	7 वर्ष	2002
2.	आर.के. अरुसिया	2009-ए	01.01.1987	23 वर्ष	7 वर्ष	2002
3.	रमन सिंह सिकरवार	2009-ए	01.01.1987	23 वर्ष	7 वर्ष	2002

4.	दिलीप कुमार सिंह	2009-ए	01.01.1987	23 वर्ष	7 वर्ष	2002
5.	जी.जी. पाण्डेय	2009-ए	01.01.1987	23 वर्ष	7 वर्ष	2002
6.	रघुवीर सिंह मीणा	2009-ए	01.01.1987	23 वर्ष	7 वर्ष	2002
7.	अनिल कुमार शर्मा	2009-ए	01.01.1988	22 वर्ष	6 वर्ष	2003
8.	प्रेम सिंह बिष्ट	2009-ए	06.01.1988	21 वर्ष	6 वर्ष	2003
9.	भागवत सिंह चौहान	2009-ए	01.01.1988	22 वर्ष	6 वर्ष	2003
10.	जी.के. पाठक	2009-ए	01.01.1988	22 वर्ष	6 वर्ष	2003
11.	सुधीर लाड	2009-ए	05.01.1988	21 वर्ष	6 वर्ष	2003
12.	के.वी. शर्मा	2009-ए	01.01.1988	22 वर्ष	6 वर्ष	2003
13.	अविनाश शर्मा	2009-ए	01.01.1988	22 वर्ष	6 वर्ष	2003
14.	नरबदे प्रसाद वर्कडे	2009-ए	05.01.1988	21 वर्ष	6 वर्ष	2003
15.	मनोज शर्मा	2009-ए	01.01.1989	21 वर्ष	6 वर्ष	2003
16.	बी.पी. चन्द्रवंशी	2009-ए	05.01.1989	20 वर्ष	5 वर्ष	2004
17.	अखिलेश झा	2009-ए	01.01.1989	21 वर्ष	6 वर्ष	2004*
18.	आनन्द प्रकाश सिंह	2009-ए	01.01.1989	21 वर्ष	6 वर्ष	2004*
19.	पुरुषोत्तम शर्मा	2009-ए	01.01.1989	21 वर्ष	6 वर्ष	2004*
20.	राम चन्द्र पंचार	2009-ए	05.01.1989	20 वर्ष	5 वर्ष	2004
21.	प्रीतम सिंह यूकेई	2009-ए	04.01.1989	20 वर्ष	5 वर्ष	2004
22.	डी.एस. चौधरी	2009-ए	07.01.1989	20 वर्ष	5 वर्ष	2004

*भा.पु.से. (वरियता का विनियमन) नियमावली, 1988 के नियम 3(3) (ii) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में श्री अखिलेश झा, श्री आनन्द प्रकाश सिंह तथा श्री पुरुषोत्तम शर्मा के संबंध में आवंटन का वर्ष 2004 तक सीमित रखा गया है।

2. भा.पु.से. (वरियता का विनियमन) नियमावली, 1988 के नियम-4 के अनुसार सिविल सूची के उपरोक्त अधिकारियों का पदस्थापन निम्नानुसार होगा :-

(i) श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह, श्री आर.के. अरुसिया, श्री रमन सिंह सिकरवार, श्री दिलीप कुमार सिंह, श्री जी.जी. पाण्डेय तथा श्री रघुवीर सिंह मीणा के समूह को श्री के.के. शर्मा (एस पी एस : 2002), जो भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश काडर के 2002 बैच के कनिष्ठतम प्रोन्नत अधिकारी हैं, के नीचे तथा श्री हरिनारायणचारी मिश्रा (आर आर:2003), जो भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश काडर के 2003 बैच के वरिष्ठतम सीधी भर्ती अधिकारी हैं, के ऊपर रखा जाएगा;

(ii) श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री प्रेम सिंह बिष्ट, श्री भगवंत सिंह चौहान, श्री जी.के. पाठक, श्री सुधीर लाड, श्री के.बी. शर्मा, श्री अविनाश शर्मा, श्री नरबदे प्रसाद वर्कडे तथा श्री मनोज शर्मा के समूह को श्री अनुराग (आर आर:2003), जो भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश काडर के 2003 बैच के कनिष्ठतम सीधी भर्ती के अधिकारी हैं, के नीचे तथा श्री संजय कुमार (आर आर:2004), जो भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश काडर के 2004 बैच के वरिष्ठतम सीधी भर्ती के अधिकारी हैं, के ऊपर रखा जाएगा;

(iii) श्री बी.पी. चन्द्रवंशी, श्री अखिलेश झा, श्री आनन्द प्रकाश सिंह, श्री पुरुषोत्तम शर्मा, श्री राम चन्द्र पंवार, श्री प्रीतम सिंह यूकेई तथा श्री डी.एस. चौधरी के समूह को श्री इरशाद वली (आर आर: 2004), जो भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश काडर के 2004 बैच के कनिष्ठतम सीधी भर्ती के अधिकारी हैं, के नीचे तथा श्री इन्दु प्रकाश अरजारिया (एस पी एस: 2004), जो भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश काडर के 2004 बैच के कनिष्ठ अधिकारी हैं, के ऊपर रखा जाएगा।

3. संबंधित अधिकारियों को तदनुसार सूचित कर दिया जाए।

(हरीश चन्द्र राय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23092527

प्रतिलिपि :

1. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल (ध्यानाकर्षण : सुश्री कमला उपाध्याय, अवर सचिव, गृह विभाग)।
2. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. आई पी एस-III/आई पी एस-III/आई पी एस-I/ए सी आर सैल/वरीयता सीट/सिविल सूची सीट।
5. अनुभाग अधिकारी (आई टी) को इस आदेश को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(हरीश चन्द्र राय)

अवर सचिव, भारत सरकार